

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

No. 67.../2015

NOTIFICATION

New Delhi, the 13^m August, 2015.

S.O.....(E)- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, "Kerala Abkari Workers Welfare Fund Board", established by the Government of Kerala, in respect of the following specified income arising to the said Board, namely:-


- (a) amount received as contribution from employers and employees;
- (b) interest earned on deposits in the banks.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that the Kerala Abkari Workers Welfare Fund Board -

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961; and
- (c) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years.

3. This notification shall be applicable for the financial years 2014-15 to 2018-19.

[F.No:196/31/2014-ITA-I]



DEEPSHIKHA SHARMA
Director to the Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Press,
New Delhi.

22
14/8

Receve

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

सं...67.../20015
अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त, 2015

का.आ.....(अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजन के लिए "केरल सरकार द्वारा गठित "केरल" आबकारी वर्कर कल्याण निधि बोर्ड" को उक्त बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित विशिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, यथा:-

- (क) नियोक्ताओं और कर्मचारियों से अंशदान के रूप में प्राप्त राशि;
- (ख) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज;

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अन्वये प्रभावी रहेगी, कि:- केरल आबकारी वर्कर कल्याण निधि बोर्ड:-

- (क) किसी भी वाणिज्यिक कार्यकलाप में संलग्न नहीं होगा;
- (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के उपखंड(च) के प्रावधानों के अनुसार अपनी आयकर विवरणी दायर करेगा; और
- (ग) इसके कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्षों में यथावत रहेंगे;

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक लागू रहेगी।

[फा.सं.196/31/2014-आ.का.नि-1]

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली।